

## अध्याय-II

### सीएजी की निरीक्षण भूमिका

यह अध्याय राजकीय उपक्रमों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में सीएजी की निगरानी भूमिका से संबंधित है। विश्लेषण राजकीय उपक्रमों द्वारा वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने में विलंब, वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुपालना नहीं किए जाने को उजागर करता है।

### राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा

#### सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

**2.1** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिवसों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर की जानी चाहिए, एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

वर्ष 2020-21 हेतु आरटीडीसीएल एवं आरएसएचसीएल के अलावा सभी राजकीय उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2020 एवं सितंबर 2020 के मध्य कर दी गई थी।

वर्ष 2020-21 के लिए दो सरकारी कंपनियों यथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसीएल) और राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसीएल) के अलावा सभी राजकीय उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा अगस्त 2020 एवं सितंबर 2020 के मध्य कर दी गई थी। आरटीडीसीएल तथा आरएसएचसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी क्योंकि इन दोनों राजकीय उपक्रमों के

लेखे क्रमशः तीन वर्ष तथा तीन वर्ष से अधिक से लंबित थे। साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी (जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड) एवं एक सरकारी कंपनी (राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड) के प्रकरण में, सांविधिक लेखापरीक्षकों को पुनः नियुक्त किया गया था (क्रमशः जनवरी 2021 एवं जून 2021 के मध्य) क्योंकि प्रारंभ में नियुक्त किए गये सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपेक्षित स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे।

### **सांविधिक लेखापरीक्षा**

**2.2** सरकारी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम तथा राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी के प्रकरण में सीएजी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं एवं नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर सीएजी का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कंपनी, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन होती है।

### **राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण**

#### **वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता**

**2.3** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है एवं जितना शीघ्र हो सके राज्य विधानमंडल के समक्ष,

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणियां एवं पूरक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान उपलब्ध हैं। यह क्रियाविधि राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए लोक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

### **राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता**

**2.4** अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक एजीएम तथा उससे अगली एजीएम की दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होने चाहिए। इस धारा में आगे प्रावधान है कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा के प्रकरण में, कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर एवं किसी अन्य प्रकरण में, वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 30 सितंबर 2021 (नियत तिथि 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाई गई) तक एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता थी।

**कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 23 सितंबर 2021 को आदेश जारी कर 2020-21 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम आयोजित किए जाने हेतु नियत दिनांक/तिथि से दो माह तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने में 30 सितम्बर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक का विस्तार हुआ।**

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 129 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसी शास्ती लगाये जाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त शर्तों के उपरांत भी, विभिन्न राजकीय उपक्रमों के वार्षिक लेखे 30 नवम्बर 2021 को लंबित थे, जिनका विस्तृत विवरण आगामी अनुच्छेद में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आरएसएचसीएल के प्रकरण में, एजीएम नवंबर 2021 तक आयोजित नहीं की गई थी एवं इसलिए, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, 27 मई 2019 को हस्ताक्षरित एवं सीएजी द्वारा जून 2019 में प्रमाणित होने के उपरांत भी 30 नवंबर 2021 तक एजीएम के समक्ष विचारार्थ एवं अभिग्रहण के लिए नहीं रखे गए थे।

31 मार्च, 2021 को, 38<sup>50</sup> सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन थीं। इनमें से 25 सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के अपने लेखे 30 नवंबर 2021 को या उससे पूर्व सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए थे। 13 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनी के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

कुल 42 कंपनियों में से 17 कंपनियों के लेखे बकाया थे।

तालिका 2.1: 30 नवंबर 2021 को बकाया लेखों की स्थिति

विवरण	सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों		
	सरकारी कंपनियों	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों	योग
31 मार्च, 2021 को सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	38	4	42
कंपनियों की संख्या, जिन्होंने 30 नवंबर 2021 तक लेखों को सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया	25	0	25
बकाया लेखों की संख्या	13	4	17
बकाया की सीमा	6 वर्ष तक	2 वर्ष तक	
बकाया का वर्गीकरण	(i) परिसमापन के अधीन	1	-
	(ii) निष्क्रिय	1	-
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	-	1
	(iv) अन्य	11	3

### सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

**2.5** पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। तीन सांविधिक निगमों में से, एक निगम ने 2020-21 के अपने लेखे 30 नवंबर 2021 तक अग्रेषित किए थे।

30 नवंबर 2021 को सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखों एवं उनके एसएआर के राज्य विधानमंडल में की प्रस्तुतिकरण की स्थिति का विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

50 इसमें एक राजकीय उपक्रम यानि सांगोद ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड शामिल नहीं है, जिसे 3 फरवरी 2021 को शामिल किया गया था, क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रथम वित्तीय वर्ष (2021-22) होने के कारण वर्ष 2021-22 के लिए पैनल को अंतिम रूप देने के बाद की जाएगी।

तालिका 2.2: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की 30 नवंबर 2021 को स्थिति

निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर के प्रस्तुतीकरण का माह/वर्ष
राजस्थान वित्त निगम	2019-20	फरवरी 2021
	2020-21	एसएआर को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2019-20	मार्च 2021
	2020-21	वार्षिक लेखे नवंबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20	एसएआर को अंतिम रूप दिया जाना शेष है।
	2020-21	वार्षिक लेखे नवंबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित

### सीएजी की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा

#### वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा

**2.6** कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों की अनुपालना में वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की अनुपालना करना आवश्यक है। साथ ही, उपरोक्त वर्णित कंपनियों की जनक, सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम को भी इंड एस की अनुपालना करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं होने वाली कंपनियां लेखा मानकों (एस) को लागू करना जारी रखेंगी। 38 सरकारी कंपनियों में से 14 उपक्रमों द्वारा इंड एस का अनुसरण किया जाता है एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से एक कंपनी (कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड) द्वारा स्वेच्छापूर्वक इंड एस का अनुसरण किया जाता है, जबकि शेष अपने लेखे एस के अनुसार तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों को अपने लेखे सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में एवं ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करने होते हैं।

#### सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

**2.7** सीएजी द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षण की भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करना।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 14 कंपनियों, जैसा कि **अनुबंध-2.1** में दर्शाया गया है, ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एस की अनुपालना नहीं की थी।

### **सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा**

**2.8** कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मूल उत्तरदायित्व एक उपक्रम के प्रबंधन का है।

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई है, वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

### **सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम**

**2.9** समीक्षा अवधि (जनवरी 2021 से नवंबर 2021) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गई समीक्षा एवं जारी की गई टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 2.3** में दी गई हैं:

तालिका 2.3: 30 नवंबर 2021 को राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरण का विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21			गत वर्षों के		
	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	25	1	26	7 <sup>51</sup>	1	8
समीक्षा नहीं की गई	7	-	7	1	-	1
समीक्षा की गई	18	1	19	6	1	7
लेखापरीक्षा प्रगति* पर है	14	1	15	-	1	1
शून्य टिप्पणी जारी की गई	2	-	2	4	-	4
टिप्पणियां जारी की गई	2	-	2	2	-	2

\* 30 नवंबर 2021 को

साथ ही, नौ राजकीय उपक्रमों, जिनकी लेखापरीक्षा 31 दिसंबर 2020 को प्रगति पर थी, में से आठ राजकीय उपक्रमों (चार सरकारी कंपनियों, तीन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों एवं एक सांविधिक निगम) के वित्तीय विवरणों पर जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के मध्य टिप्पणियां जारी की गई थी। इस प्रकार, समीक्षा अवधि के दौरान 12 राजकीय उपक्रमों (अनुबंध 2.2) के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी।

#### वित्तीय विवरणों का संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनर्लेखन

**2.10** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएजी द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कंपनी (राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड) एवं सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी (कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड) ने अपने वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण, वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी (जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) ने, वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए आरआरवीयूएनएल द्वारा दावा किए गए पूँजी पर प्रतिफल को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, अपने वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण, वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे। तदनुसार, इन तीन कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था।

51 इसमें दो राजकीय उपक्रमों के संशोधित वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं। साथ ही, इसमें आरटीडीसीएल (2017-18) और आरएसएचसीएल (2016-17) के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, जो जुलाई 2021 एवं सितंबर 2021 में प्राप्त हुए थे, जैसा कि आरटीडीसीएल के मामले में, कंपनी के बोर्ड ने 12 मार्च 2021 को आयोजित अपनी 182 बैठक में वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को मंजूरी दी, हालांकि लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट बाद की तारीख; 25 मार्च 2021 को प्रस्तुत की जबकि आरएसएचसीएल के मामले में, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (2015-16) को एजीएम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

### सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

**2.11** प्रतिवेदन अवधि (जनवरी 2021 से नवंबर 2021) के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात राजकीय उपक्रमों से प्राप्त वित्तीय विवरणों की सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की। सीएजी द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि खातों की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। 2018-21 के खातों के लिए सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

**तालिका 2.4: राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19		2019-20		2020-21	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	7	112.46	8	2231.82	7	64.47
2	लाभ में वृद्धि	2	10.20	4	92.04	3	27.28
3	हानि में वृद्धि	0	0.00	5	5362.20	0	0.00
4	हानि में कमी	0	0.00	1	0.30	0	0.00
5	भौतिक तथ्यों का सुलासा न करना	0	0.00	6	86.73	2	6290.22
6	वर्गीकरण की त्रुटि	1	2.00	0	0.00	3	169.37

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों से संकलित।

सीएजी द्वारा राजकीय उपक्रमों की पूरक लेखापरीक्षा के बाद जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

#### लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20)	आरईआरसी ने 2018-19 के अपने टूइंग अप आदेश में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को कंपनी से ₹ 604.89 करोड़ के प्रसारण शुल्क की वसूली करने की अनुमति दी, जिसके समक्ष कंपनी ने ₹ 630.17 करोड़ बुक किये थे। प्रसारण प्रभारों की अधिक बुकिंग के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को अधिक दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 25.28 करोड़ से कम दर्शाया गया।
		पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ₹ 2.75 करोड़ (जुलाई 2011 से मार्च 2020) के पीओसी <sup>52</sup> शुल्क बिल का लेखांकन न किए

52 पोएंट ऑफ कनेक्शन।



		जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 2.75 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		कंपनी की सार्थक लेखांकन नीति के अनुसार ₹ 1.98 करोड़ के ग्रेच्युटी व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 1.98 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		₹ 4.79 करोड़ के विवादित राजस्व का परिचालन राजस्व के रूप में लेखांकन के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों के साथ-साथ लाभ ₹ 4.79 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019-20)	कोटा थर्मल पावर स्टेशन (₹ 1.06 करोड़) एवं छाबड़ा थर्मल पावर स्टेशन (₹ 1.05 करोड़) के परिचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹ 2.11 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के समक्ष ₹ 10.69 करोड़ के क्रेडिट के गलत समायोजन के परिणामस्वरूप मरम्मत एवं रखरखाव व्यय के साथ-साथ कंपनी की अन्य आय को ₹ 10.69 करोड़ कम दर्शाया गया।
3.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2019-20)	₹ 22.74 करोड़ के परियोजना व्यय एवं उस पर सेवा शुल्क आय ₹ 1.36 करोड़ (₹ 22.74 करोड़ के परियोजना व्यय का 6%) को खातों में दर्ज नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना व्यय संबंधी दायित्वों (नोट -5) को ₹ 24.10 करोड़ (₹ 22.74 करोड़ + ₹ 1.36 करोड़) से अधिक एवं व्यापार देयताओं को ₹ 22.74 करोड़ से कम तथा लाभ को ₹ 1.36 करोड़ से कम दर्शाया गया।
4.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (2019-20)	उधार लागतों का, जब सक्रिय विकास बाधित हुआ, उस अवधि के लिए ₹ 10.81 करोड़ की गलत पूंजीकरण के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य एवं लाभ ₹ 10.81 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
		आरएसएफसीएससी <sup>53</sup> के समक्ष 2013-16 की अवधि हेतु (₹ 2.10 करोड़) एवं एफसीआई <sup>54</sup> (₹ 16.75 करोड़) के पास पड़े हुए दावों के संबंध में डूबत व संदिग्ध संपत्तियों के लिए ₹ 18.85 करोड़ का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू संपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम एवं लाभ को ₹ 18.85 करोड़ से अधिक दर्शाए गए।

53 राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

54 भारतीय स्वाद्य निगम

**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां**

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019-20)	सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की इकाई-7 तथा 8 हेतु मार्शलिंग यार्ड के निर्माण पर व्यय ₹ 89.82 करोड़ का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य को ₹ 89.82 करोड़ से कम एवं अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया।
2.	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने ₹ 62.23 करोड़ (2019-20- ₹ 20.64 करोड़, 2018-19- ₹ 26.08 करोड़ एवं 2017-18- ₹ 15.51 करोड़) के इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत दर्ज किए जाने का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को ₹ 62.23 करोड़ से अधिक दर्शाया गया एवं अन्य व्ययों तथा 'अन्य पूंजी' को क्रमशः ₹ 20.64 करोड़ एवं ₹ 41.59 करोड़ से कम दर्शाया गया। वर्ष का लाभ भी ₹ 20.64 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
3.	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	₹ 1.64 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप व्यापार देयताओं एवं चालू पूंजीगत कार्य को ₹ 1.64 करोड़ से कम दर्शाया गया।
4.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	कोटा शहर में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पावर्ड जल पम्पिंग परियोजना एवं बस शेल्टर के निर्माण से संबंधित ₹ 1.13 करोड़ के अंतिम बिलों का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र व उपकरण तथा अन्य चालू दायित्वों को ₹ 1.13 करोड़ से कम दर्शाया गया।
5.	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	₹ 2.97 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लेखांकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य एवं व्यापार देयताओं को ₹ 2.97 करोड़ से कम दर्शाया गया।
6.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (2019-20)	अप्रैल 2020 में देनदारों द्वारा जारी किए गए चेकों एवं आरटीजीएस/एनईएफटी को हाथ में चेक के रूप में गलत लेखांकन तथा इसकी बकाया देनदारों में से कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप देनदारों (वेयरहाउसिंग संचालन) को ₹ 46.12 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं नकद व बैंक शेष - हाथ में चेक तथा डी.डी. को अधिक दर्शाया गया
7	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2018-19)	एफडीआर (अन्य चालू संपत्तियों में शामिल) पर उपाजित ब्याज के प्रत्यावर्तन के स्थान पर आरएवीआईएल <sup>55</sup> के ₹ 1.14 करोड़ के एफडीआर के गलत प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप नकद व नकद समकक्षों को ₹ 1.14 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं अन्य चालू संपत्तियों को अधिक दर्शाया गया।

**प्रकटन/सामान्य पर टिप्पणियां**

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	एएस-3 के प्रावधानों एवं कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के उल्लंघन में नकद व नकद समकक्ष के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ ₹ 40 करोड़ के सावधि जमा का गलत समावेशन के कारण निवेश गतिविधियों से/ (प्रयुक्त) शुद्ध नकद को अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप नकद व नकद समकक्षों एवं नकद और नकद समकक्षों (अंतिम शेष) में ₹ 40 करोड़ की वृद्धि/(कमी) दर्शाई गई।
2.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019-20)	कंपनी सैद्धांतिक रूप से कोटा टीपीएस की इकाई 1 से 4 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सहमत हो गई एवं इसके लिए ₹ 6,290 करोड़ (चरण- I ₹ 3,320 करोड़ तथा चरण- II ₹ 2,970 करोड़) की अतिरिक्त पूंजी दायित्व की आवश्यकता थी, लेकिन प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन होने के उपरांत भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को 2019-20 के वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया था।
3.	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों के संशोधन के साथ-साथ कारणों यथा वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख एवं बीओडी बैठक की तारीख में अंतर, कंपनी सचिव द्वारा वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने के बारे में तथ्य उजागर नहीं किए थे।
4.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने स्वातंत्र्य के संशोधन के प्राथमिक कारण अर्थात् पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन एवं ऐसे संशोधन के प्रभाव को उजागर नहीं किए थे।

**लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां**

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (2020-21)	सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) ने प्रतिकूल टिप्पणी हेतु आधार के तहत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि "राजस्थान सरकार ने अधिक निवेश करके संयंत्रों के चरणबद्ध पुनरुद्धार कर उसी को फिर से शुरू करने की कंपनी की योजना को असंभाव्यता एवं इससे जुड़ी सफलता ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार, अनुमति के अभाव में कंपनी के संचालन के पुनरुद्धार की संभावना पर भौतिक संदेह है।" साथ ही, राय के निष्कर्ष में एसए द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया था कि "कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में अनिश्चितता मौजूद है"। निदेशक मंडल (बीओडी) ने 100% अंशपूंजी के विक्रय के माध्यम से जीएलपीएल के विनिवेश हेतु नवीन रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

		<p>आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी किए जाने हेतु अनुमोदन किया (29 जून 2021), जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने अनुशंसा की थी। इस प्रकार, “कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में नहीं जारी रहने की क्षमता के बारे में भौतिक निश्चितता है।</p> <p>साथ ही, विनिवेश की ओर ले जाने वाली स्थितियां अर्थात्, कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया शुरू करने का राज्य सरकार का निर्णय (8 दिसंबर 2020) से अवगत कराना, जिसने इंगित किया कि बैलेंस शीट तिथि को चालू प्रतिष्ठान की मौलिक लेखांकन धारणा उपयुक्त नहीं थी, भी बैलेंस शीट तिथि को मौजूद थीं। इन दो महत्वपूर्ण तथ्यों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया।</p>
2.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	<p>अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की राय है कि “स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सपटित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 की अनुपालना में” सही नहीं थे क्योंकि कंपनी ने तीन महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले निवेश से संबंधित राशि को एएस-3 के उल्लंघन में नकद और नकद समकक्ष शीर्ष के तहत शामिल किया है।</p> <p>साथ ही, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपरिवर्तित राय व्यक्त की है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई राय भी इस सीमा तक सही नहीं थी क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षक एएस-3 की अनुपालना नहीं किए जाने के प्रकरण पर टिप्पणी करने में विफल रहे।</p>
3.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (2019-20)	<p>अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की राय है कि “स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सपटित कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम 15, जैसा कि संशोधित किया गया, की अनुपालना में” गलत थे क्योंकि मर्यादित राय का आधार शीर्ष के तहत दायित्वों के कम प्रावधान के संबंध में दो टिप्पणियां, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक संपत्तियां, के साथ वित्तीय विवरणों का अनुपालना नहीं दर्शाती थीं।</p>
4.	राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2019-20)	<p>सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत उन्हें जारी सीएजी के उप निर्देशों पर प्रतिवेदन करने में विफल रहे।</p>
5.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (2019-20)	<p>स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन (राय स्पण्ड) में ‘संशोधित’ शब्द शामिल नहीं किया था। साथ ही, संशोधन का प्राथमिक कारण अर्थात् लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों एवं उनका प्रभाव का भी स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था।</p>

<p>6.</p>	<p>राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2018-19)</p>	<p>लेखापरीक्षा मानक-706 (एसए-706) में कहा गया है कि केवल वे मामले, जो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत या प्रकट किए गए हैं एवं जिन्हें लेखापरीक्षक उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक समझता है, केवल वे मामले ही महत्वपूर्ण प्रकरण (ईओएम) में शामिल किए जा सकते हैं। साथ ही, एसए-706 बताता है कि ईओएम अनुच्छेद का व्यापक उपयोग ऐसे मामलों के लेखापरीक्षक के सम्प्रेषण की प्रभावशीलता को कम करता है एवं यह कि ईओएम अनुच्छेद मर्यादित राय का विकल्प नहीं है।</p> <p>सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ईओएम अनुच्छेद में कई कमियों को शामिल करना अर्थात् जीएसटी रिटर्न और लेखापुस्तकों में रसीद/टर्नओवर के बीच असंगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं रखा गया, आदि। साथ ही, अनिश्चितता /समाशोधन नहीं किए जाने एवं पुष्टि नहीं किए जाने के कारण ईओएम में ऐसे प्रकरण भी शामिल थे जहां सांविधिक लेखापरीक्षक व्यवहारों की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ थे जैसे कि खातों में दर्ज जीएसटी देयता, सीडब्ल्यूआईपी अथवा मोबिलाइजेशन/ कार्यों के समक्ष अग्रिम, अग्रिम/व्यापार प्राप्तियों की वसूली की सीमा आदि का हिस्सा बनने वाले बहीखाते।</p> <p>इन मामलों में मर्यादित लेखापरीक्षा राय की आवश्यकता होती है एवं इन्हें केवल ईओएम अनुच्छेद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अतः सांविधिक लेखापरीक्षक की ओर से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त थे।</p>
-----------	--	--

**सांविधिक निगम, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है**

**2.12** सीएजी द्वारा सांविधिक निगम के लेखों पर, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है, जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

**राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम**

निगम ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए (अप्रैल 2021)। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निगम ने अपने लेखों को संशोधित किया एवं लेखापरीक्षा के लिए संशोधित लेखे प्रस्तुत किए (सितम्बर 2021)। 30 नवंबर 2021 को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा था। तथापि, इसे 21 जनवरी 2022 को जारी किया गया था।

**लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना**

**2.13** कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने

लेखा मानकों को निर्धारित किया था। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अधिसूचित किया। इंड एएस 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात तीन इंड एएस 11, 17 एवं 18 को वापस ले लिया गया है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने देखा कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखा मानकों/इंड एएस की अनुपालना नहीं की थी। अनुपालना नहीं किए जाने को उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था:

एएस/इंड एएस	एएस/इंड एएस का नाम	कंपनी का नाम	विचलन
एएस 3	नकदी प्रवाह विवरण	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	नकद एवं नकद समकक्ष के तहत अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा को शामिल करना, जिनकी परिपक्वता तीन महीने से अधिक है। एसए अपने प्रतिवेदन में भी एएस-3 की अनुपालना नहीं किए जाने के बारे में प्रतिवेदित करने में विफल रहे।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां।	राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (2019-20)	समेकित वित्तीय विवरणों के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने कहा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, तथापि, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मर्यादित राय के आधार शीर्ष के तहत देनदारियों के कम प्रावधान के संबंध में दो टिप्पणियां की थीं।

## प्रबंधन पत्र

**2.14** वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक एवं निगमित इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों पर संम्रेषण स्थापित करना है।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आक्षेपों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की गई थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताओं या कमियों पर भी सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। यह कमियां सामान्यतः लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं के लागू करने एवं व्याख्या करने, लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजनों जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है एवं कतिपय सूचनाओं की अपर्याप्तता अथवा प्रकटन नहीं

---

किया जाना, जिस पर संबंधित राजकीय उपक्रम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई आगामी वर्ष में की जाएगी से संबंधित है।

समीक्षा अवधि के दौरान, सीएजी ने राजकीय उपक्रमों को 17 'प्रबंधन पत्र' जारी किए, जैसा कि **अनुबंध-2.3** में दर्शाया गया है। इन प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- लेखांकन नीतियों की अनुपालना नहीं किया जाना / प्रकटीकरण नहीं किया जाना;
- राजस्थान सरकार/माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार लेखांकन का निर्देश जारी करना;
- शेषों का मिलान नहीं किया जाना;
- परिसम्पतियों, देयताओं, आय एवं व्यय आदि का गलत वर्गीकरण;
- 'लेखों की टिप्पणियों में' अपर्याप्त/प्रकटन नहीं किया जाना; एवं
- उचित लेखा पुस्तकों के रख रखाव का अभाव।

